

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

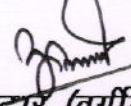
कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 888 / 2022 दिनांक : 10.03.2022

श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) को दिनांक 12.01.2022 से 15.01.2022 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 16.01.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

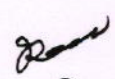

10-03-2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/36/2016/2005

दिनांक : 10.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 887 दिनांक 21.01.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।


सहायक रजिस्ट्रार